

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ 3-6/2021/सात-3,
प्रति,

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20.05.2022

1. समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़।
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, छत्तीसगढ़।


विषय :- राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत पुजारी/वैगा/गुनिया/
मांझी/हाट पहरिया/बाजा मोहरिया को शामिल करने बाबत।

-00-

उपरोक्त विषयांतर्गत राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा-निर्देश दिनांक 16.08.2021 में आंशिक संशोधन उपरांत योजनांतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के आदिवासियों के देव स्थल में पूजा करने वाले व्यक्ति जिन्हें पुजारी/वैगा/गुनिया/मांझी आदि नामों से जाना जाता है तथा आदिवासियों के देव स्थल के हाट पहरिया एवं बाजा मोहरिया, कृषि भूमि धारण करने के बावजूद योजनांतर्गत उनकी पात्रता निर्धारित की गई है, परंतु इस वर्ग के वे परिवार जो शासन से सामाजिक भत्ता/आर्थिक सहायता अन्य योजना से प्राप्त कर रहे हो वे पात्रता की श्रेणी में नहीं आयेंगे।

2/ अतः योजनांतर्गत उपरोक्तानुसार पात्र हितग्राहियों से संलग्न प्रपत्र में आवेदन प्राप्त कर निर्धारित कार्ययोजना अनुरूप कार्य संपादित कराया जाना सुनिश्चित करें।

क्र.	निर्धारित कार्य योजना	समय-सीमा
1	पंजीयन हेतु आवेदन प्राप्त करने की तिथि (जनपद स्तर पर)	25.05.2022 से 10.06.2022 तक
2	जनपद स्तर पर पोर्टल में प्रविष्टि कर पंजीयन करने की तिथि	11.06.2022 से 17.06.2022 तक
3	प्राप्त आवेदन का ग्राम पंचायत में परीक्षण	18.06.2022 से 24.06.2022 तक
4	ग्राम पंचायत द्वारा परीक्षण उपरांत दावा आपत्ति प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर सूची का प्रकाशन	27.06.2022
5	ग्राम पंचायत स्तर पर दावा आपत्ति प्रस्तुत करने की तिथि	30.06.2022 से 07.07.2022 तक
6	विशेष ग्राम सभा में दावा आपत्ति आवेदनों का निराकरण	08.07.2022
7	ग्राम सभा से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार पात्र अप्रात्र हितग्राहियों का वेब साईट में अद्यतीकरण जनपद स्तर पर	09.07.2022 से 15.07.2022 तक
8	अंतिम सत्यापित सूची	18.07.2022


(नीलम नामदेव एक्का)

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

निरंतर

//2//

क्रमांक एफ 3-6/2021/सात-3,

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20.05.2022

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर।
2. संचालक, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
3. समस्त संभागायुक्त छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजनान्तर्गत पंजीयन हेतु
पुजारी/बैगा/गुनिया/मांझी/हाट पहरिया/बाजा मोहरिया हेतु आवेदन पत्र
(हितग्राही परिवार के मुखिया द्वारा आवेदन भरा जाए)

आवेदक का
स्व-प्रमाणित
पासपोर्ट साईज
फोटो

1. हितग्राही परिवार के मुखिया का नाम
2. पिता/पति का नाम
3. वर्ग- अनु.जनजाति जाति-
4. मोबाईल नंबर (बैंक खाते से लिंक मोबाईल नंबर को प्राथमिकता देवे)

5. पता :-ग्राम का नाम :-ग्राम पंचायत पंचायत का नाम

6. पटवारी हल्का नंबर

7. जनपद पंचायत का नामतहसीलजिला

8. व्यवसाय :- पुजारी/बैगा/गुनिया/मांझी/अन्य/हाट पहरिया/बाजा मोहरिया

देव स्थल का नाम

वर्तमान में किये जाने वाले कार्य का विवरण :-

9. परिवार के सदस्यों का विवरण :-

क्र.	सदस्य का नाम	लिंग	उम्र	परिवार के मुखिया से संबंध
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

10. बैंक खाते का विवरण :-

i बैंक का नामबैंक शाखा का नाम

ii खाता क्रमांक :-

iii IFSC कोड :-

11. आधार का विवरण

i आधार नंबर

ii आधार कार्ड अनुसार पूरा नाम (अंग्रेजी में)

आधार नंबर के उपयोग हेतु सहमति-पत्र

मैं अपने आधार नंबर की जानकारी "राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना" हेतु उपयोग करने की सहमति देता/देती हूँ। मेरे द्वारा मेरे आधार को दर्शित बैंक अकाउण्ट से लिंक करा लिया गया है।

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा-पत्र

मैंसत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हूँ तथा आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी सही है। मेरे या मेरे परिवार शासन से सामायिक भत्ता/आर्थिक सहायता किसी अन्य योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। मेरे द्वारा असत्य/त्रुटिपूर्ण जानकारी देकर अनुदान सहायता राशि प्राप्त करने पर राज्य सरकार द्वारा विधिक कार्यवाही करते हुए दी गई अनुदान सहायता राशि भू राजस्व के बकाया के रूप में मुझसे वसूल की जाये।

संलग्न :- बैंक पासबुक की छायाप्रति

आधार की छायाप्रति

आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापन

मेरे द्वारा आवेदक के आवेदन में उल्लेखित जानकारी एवं संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण किया गया है। मैं इस आवेदन पत्र का डाटा एंट्री की अनुमति प्रदान करता हूँ।

अथवा

मेरे द्वारा आवेदक के आवेदन में उल्लेखित जानकारी एवं संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण किया गया है। प्रविष्टि के आधार पर आवेदन पत्र असत्य/त्रुटिपूर्ण होने के कारण अस्वीकृत किया जाता है।

ग्राम पंचायत का नाम

जनपद पंचायत का नाम

पंचायत सचिव के हस्ताक्षर एवं सील

पंचायत सचिव के नाम

पावती

हितग्राही सुश्री/श्री/श्रीमती/पिता/पति श्रीग्राम
मोबाईल नंबर "राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना" अंतर्गत पंजीयन एवं संबंधित
दस्तावेज आज दिनांक को प्राप्त किया।

ग्राम पंचायत का नाम

जनपद पंचायत का नाम

पंचायत सचिव के हस्ताक्षर एवं सील

पंचायत सचिव के नाम